<u>न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण पोकरण।</u>
<u>(अपर सत्र न्यायाधीश, पोकरण)</u>

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल,** RJS
(U.I.D. No.RJ00695)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:– 203/2026

सी.आई.एस. नम्बरः– 203/2026

प्रेमदान पुत्र खेमदान उर्फ खिनवदान, पेशा खेती, निवासी किशोर नगर सोमेसर, पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर।

–प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी एन एस एस,
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–74/2026, पुलिस थाना फलसूण्ड
अपराध अन्तर्गत धारा 8/17, 18 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री सरवर खां, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त
2. अपर लोक अभियोजक–राज्य

–:: आदेश ::– **दिनांकः** 14.08.2026

1. उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए जमानत का हस्तगत प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में सरासर झूठे रूप में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है, पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी बतायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में संदेह के आधार

पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त ने इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आदेशित हर शर्त की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत हेतु उचित मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत हेतु कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जमानत प्रतिभूति देने को तैयार हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गवाहान को डराने–धमकाने की कोई आशंका नहीं है एवं न ही प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं भागने की कोई संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

2. जमानत प्रार्थना पत्रों की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी एवं अनुसंधान पत्रावली तलब कर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया, जबकि इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त विशनाराम को उपलब्ध करवाया जाना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. अनुसंधान पत्रावली में प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न किया गया है, जो निम्न हैः–

क्र.सं.	मुकदमा सं./पीएस	अपराध धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	15/26/भणियाणा	8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	जैर अनुसंधान	–

5. अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के

अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 01.08.2026 की रात्रि में करीब 08.50 पीएम एवं उसके पश्चात् कस्बा फलसूण्ड में पोकरण रोड पर मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 55 एसबी 6145 पर सवार सहअभियुक्त विशनाराम की तलाशी लिए जाने पर उसके पहने हुए पायजामा की बायीं जेब से प्लास्टिक की थैली में से 13 ग्राम अफीम का दूध एवं 341 ग्राम निर्मित अफीम मादक पदार्थ की बरामदगी होने के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना फलसूण्ड द्वारा मुर्तिब फर्द बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना फलसूण्ड में यह प्रकरण धारा 8/17, 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया।

प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/17, 18, 29 एनडीपीएस एक्ट के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ सह अभियुक्त विशनाराम को उपलब्ध करवाए जाने के तथ्य के आधार पर संलिप्त किया गया है, जोकि अत्यन्त गंभीर प्रकृति का आरोप है। अनुसंधान पत्रावली के साथ प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व में समान प्रकृति का एक अन्य प्रकरण भी पुलिस थाना भणियाणा में दर्ज होना प्रकट हुआ है, जो उसके आदतन अपराधी होने की तरफ संकेत करता है। प्रकरण के सह अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जा चुका है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सह अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण में सह अभियुक्त विशनाराम के कब्जे से बरामदशुदा मादक पदार्थ निर्मित अफीम का वजन 341 ग्राम होना पाया गया है, जो न्यूनतम मात्रा से कहीं अधिक है। मादक पदार्थों के विक्रय एवं सेवन का सामाजिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पोकरण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है, जहाँ इस प्रकार के प्रकरणों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह न्यायालय प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं समझता है।

–:आदेश:–

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त प्रेमदान पुत्र खेमदान उर्फ खिनवदान, पेशा खेती, निवासी किशोर नगर सोमेसर, पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत के आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार किए जाकर खारिज किए जाते हैं।

(डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल)
UID No. RJ00695
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एनडीपीएस प्रकरण पोकरण।
(अपर सेशन न्यायाधीश पोकरण)

7. आदेश आज दिनांक 14.08.2026 को हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल)
UID No. RJ00695
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एनडीपीएस प्रकरण पोकरण।
(अपर सेशन न्यायाधीश पोकरण)